संचिका संख्या– प्र08–गो0आ0(सीतामढ़ी)–54/2015

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

।। आदेश ।।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहे श्री शैलेश्वर प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नानपुर, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–279 दिनांक–29.10.2015 द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता को संरक्षण देने, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का जाँच प्रतिवेदन विलंब से अनुज्ञापन पदाधिकारी को समर्पित करना, सूचनावेदक द्वारा माँगी गयी सूचना को ससमय उपलब्ध नहीं कराने तथा वरीय पदाधिकारी को गुमराह करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–9509 दिनांक–23.12.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त के क्रम में श्री प्रसाद की सेवानिवृति के उपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक–2408 दिनांक–03.05.2024 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी0) के तहत समपरिवर्तित की गई।

संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–7065 दिनांक–08.10.2024 द्वारा प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए आरोप संख्या–01 को प्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए मंतव्य के रूप में अंकित किया है कि "श्री प्रसाद द्वारा अपने स्पष्टीकरण में जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री अरूण कुमार मिश्र के विरूद्ध समर्पित आवेदन की जाँच के क्रम में लाभुकों का लिये गये बयान की छायाप्रति समर्पित की है, जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि श्री प्रसाद ने दिनांक–07.01.2015 को ही जाँच कर ली थी, परन्तु जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अनियमितता बरते जाने का साक्ष्य मिलने के बावजूद श्री प्रसाद द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को ससमय जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन की माँग किये जाने के पश्चात् श्री प्रसाद ने दिनांक–09.03.2015 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। इससे स्पष्ट है कि श्री प्रसाद ने जान–बूझकर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन भजने में एक माह से अधिक विलंब किया है एवं इनके द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के कृत्यों को दबाकर उन्हें संरक्षण देने का प्रयास किया गया है"। साथ ही, आरोप संख्या–01 के तथ्यों पर ही आधारित होने के कारण आरोप संख्या–03 को भी प्रमाणित पाया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के आलोक में समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक–168688 दिनांक–29.10.2024 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब/बचाव बयान की माँग की गई।

श्री प्रसाद ने दिनांक–27.12.2024 को अपना बचाव बयान समर्पित करते हुए स्वयं के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों का खंडन करते हुए मुख्य रूप से अंकित किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी द्वारा कार्यालय पत्रांक–109 दिनांक–04.02.2015 के माध्यम से ज0वि0प्र0 विक्रेता के विरूद्ध प्राप्त आवेदन में अंकित बिन्दुओं की जाँच कर तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त के आलोक में प्राप्त आवेदन पर जाँच करते हुए मैंने अपने पत्रांक–18 दिनांक–09.03.2015 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया था। जहाँ तक एक माह विलंब से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में विदित हो कि तत्समय पैक्स का चुनाव कार्य में मेरी प्रतिनियुक्ति होने के कारण मेरे द्वारा चुनाव कार्य को वरीयता/प्राथमिकता प्रदान की गयी, जिसके कारण जाँच प्रतिवेदन प्रेषित करने में विलंब हुआ है एवं आवेदक के द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाना भी विलंब का कारण बना है।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम–जानीपुर के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री अरूण कुमार मिश्र के विरूद्ध जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में एक जन–शिकायत समर्पित किया गया। विदित हो कि प्राप्त जन शिकायत के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा

संचिका संख्या– प्र08–गो0आ0(सीतामढ़ी)–54/2015

दिनांक–07.01.2015 को ही जाँच कर लिया गया था। इसकी पुष्टि समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संलग्न लाभुकों के बयानों के अवलोकन से होता है। श्री प्रसाद द्वारा दिनांक–07.01.2015 को ही जाँच कर लिया गया था, इसके बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक–04.02.2015 को निदेशित करने के उपरान्त दिनांक–09.03.2015 को तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इस प्रकार श्री प्रसाद द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने में एक माह से अधिक विलंब किया गया। एक माह से अधिक समय पहले जाँच कर लिया जाना और सक्षम प्राधिकार के समक्ष ससमय वांछित जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करना, ये स्पष्ट करता है कि श्री प्रसाद द्वारा जान–बुझकर विलंब किया गया है। जहाँ तक श्री प्रसाद का यह कहना कि पैक्स चुनाव के मद्देनजर मेरे द्वारा चुनाव को प्राथमिकता दी गयी, जिस कारण विलंब हुआ। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पैक्स चुनाव का हवाला देकर श्री प्रसाद अपने प्राथमिक कार्यो के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त विलंब से जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में श्री प्रसाद द्वारा कोई ठोस आधार/तथ्य नही दिया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित बचाव बयान/स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः श्री प्रसाद के विरूद्ध विलंब से जाँच प्रतिवेदन भेजे जाने संबंधित प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शैलेश्वर प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नानपुर, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत पाँच वर्षो तक 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन कटौती किये जाने का दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित की शास्ति विनिश्चित की गयी है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड के आलोक में श्री शैलेश्वर प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नानपुर, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत पाँच वर्षो तक 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन कटौती किये जाने का दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित करते हुए प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश पर प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

Signed by
Birendra Kumar Prasad
Date: 04-02-2025 18:03:17
(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

प्रतिलिपि–

1. महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं बक्सर/अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीतामढ़ी–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी/बक्सर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03/आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री शैलेश्वर प्रसाद (से0नि0 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी), पता–छोटी मछुआटोली, दानापुर कैन्ट, जिला–पटना, पिन–801503, मोबाईल संख्या–8409983422 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।